संoसंo–1/पoमेoकॉoअo–04/2018– 85(1)90

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक– 7 / 01 / 2019

विषयः– पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को विपत्र कोड–20–2210011100001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न मदों में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त रू0 9,24,70,000/– (रुपये नौ करोड़ चौबीस लाख सत्तर हजार) मात्र एवं आय–व्ययक से चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वर्दी/पोशाक एवं संविदा सेवायें मदों में प्राप्त उपबंध रु0 41,95,000/– मात्र अर्थात् कुल रू0 9,66,65,000/–(रुपये नौ करोड़ छियासठ लाख पैंसठ हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को विपत्र कोड–20–2210011100001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न मदों में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त रू0 9,24,70,000/– (रुपये नौ करोड़ चौबीस लाख सत्तर हजार) मात्र एवं आय–व्ययक से चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वर्दी/पोशाक एवं संविदा सेवायें मदों में प्राप्त उपबंध रु0 41,95,000/– मात्र अर्थात् कुल रू0 9,66,65,000/–(रुपये नौ करोड़ छियासठ लाख पैंसठ हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक–17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–2210011100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटनादेश द्वारा 0001.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए भी राशि शामिल है।

9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

11 इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

5/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0मे0कॉ0अ0–04/2018–85(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 7 / 01 / 2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/1/19

सरकार के विशेष सचिव

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड–20–2210011100001 को वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

प्राथमिक ईकाई	कुल संयुक्त बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	अद्यतन कुल बजट उपबंध	पूर्व का संयुक्त कुल आवंटन	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को वर्तमान आवंटन	कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	1800000	600000	2400000	1650000	750000	2400000	0
0001.13.04 विद्युत प्रभार	60200000	36000000	96200000	60200000	36000000	96200000	0
0001.13.06 वर्दी/पोशाक	810000	770000	1580000	765000	815000	1580000	0
0001.28.02 संविदा सेवायें	160000000	41500000	201500000	156000000	45500000	201500000	0
0001.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	27200000	3600000	30800000	27200000	3600000	30800000	0
0001.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय	30000000	10000000	40000000	30000000	10000000	40000000	0
कुल योग–	**280010000**	**92470000**	**372480000**	**275815000**	**96665000**	**372480000**	**0**

(रुपये नौ करोड़ छियासठ लाख पैंसठ हजार)

85(1)90
7-01-19

सरकार के विशेष सचिव